



नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

क्रमांक-5640 / स्थापना तृ.च. / 2022

खण्डवा, दिनांक-29 / 08 / 2022

// गैर शैक्षणिक संवर्ग विज्ञप्ति //

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-06/2018/1-55 भोपाल, दिनांक 20.04.2018 गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम-2018, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, भोपाल का पत्र क्रमांक 517/स्था./अराज/2019 भोपाल, दिनांक 10.05.2019 द्वारा प्राप्त अनुसूची के आधार पर रिक्त पदों की पूर्ति आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल के पत्र क्रमांक 551/स्था./अराज/2021 भोपाल दिनांक 07.06.2021 के परिपालन में अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से परीक्षा उपरांत प्रावीण्य सूची के आधार पर चयन प्रक्रिया की जाना है इस हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन का प्रारूप एम.पी. आनलाईन की वेबसाइट www.mponline.gov.in पर ऑनलाईन उपलब्ध रहेगा तथा आवेदन अंतिम तिथि- 30/09/2022 रात्रि 12.00 बजे तक भरे जा सकेंगे।

1. गैर शैक्षणिक संवर्ग कुल रिक्त पद:-11

क्रं.	पदनाम	सीधी भर्ती हेतु (80%)					संविदा पर कार्यरत हेतु (20%)				
		UR	ST	SC	OBC	EWS	UR	ST	SC	OBC	EWS
1	मेडिकल सोशल वर्कर (1 पद PMR हेतु)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	कोडिंग क्लर्क	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	रिकार्ड क्लर्क	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	स्टेनो टायपिस्ट	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	डाक्यूमेंटलिस्ट	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	सहायक ग्रेड-3	1F	2	-	-	-	1	-	-	-	-
कुल		5	5	-	-	-	1	-	-	-	-

नोट:-उपरोक्त चिन्हित पदों में SC= अनुसूचित जाति, ST = अनुसूचित जनजाति, OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग, UR= अनारक्षित, EWS = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा F = महिला उम्मीदवार से हैं साथ ही संविदा हेतु कार्यरत अभ्यर्थी को न्यूनतम 05 वर्ष तक संविदा पर कार्यरत अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

2. न्यूनतम अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	पदनाम	7वां वेतनमान अनुसार वेतन	शैक्षणिक योग्यता
1.	मेडिकल सोशल वर्कर	32800/-	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र/मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एम. एस. डब्ल्यू उपाधि।
2.	कोडिंग क्लर्क	25300/-	1. अभ्यर्थी ने हायर सेकेंडरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्युटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण-पत्र हो। 3. मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित कम्प्युटर दक्षता पत्र (सी.पी.सी.टी.) परीक्षा हिन्दी टंकण के साथ उत्तीर्ण। 4. मान्यता प्राप्त शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सालय में 01 वर्ष का कोडिंग कार्य का अनुभव अनिवार्य।
3.	रिकार्ड क्लर्क	19500/-	1. अभ्यर्थी ने हायर सेकेंडरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्युटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण पत्र हो। 3. मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित कम्प्युटर दक्षता प्रमाण पत्र (सी.पी.सी.टी.) परीक्षा हिन्दी टंकण के साथ उत्तीर्ण।

4.	स्टेनो टायपिस्ट	19500/-	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभ्यर्थी ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्युटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण-पत्र हो। 3. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर यथामान्य अंग्रेजी अथवा हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनिट की गति से उत्तीर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र। 4. सी.पी.सी.टी. परीक्षा हिन्दी, अंग्रेजी टाईपिंग दोनों में उत्तीर्ण होना चाहिए।
5.	डाक्यूमेन्टलिस्ट	19500/-	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभ्यर्थी ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्युटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण पत्र हो। 3. मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित कम्प्युटर दक्षता प्रमाण पत्र (सी.पी.सी.टी.) परीक्षा हिन्दी टंकन के साथ उत्तीर्ण।
6.	सहायक ग्रेड-3	19500/-	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभ्यर्थी ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्युटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण पत्र हो। 3. मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित कम्प्युटर दक्षता प्रमाण पत्र (सी.पी.सी.टी.) परीक्षा हिन्दी टंकन के साथ उत्तीर्ण।

नोट- उक्त कोडिंग क्लर्क पद हेतु मान्यता प्राप्त शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सालय में 01 वर्ष का कोडिंग कार्य का अनुभव होने के साथ में संबंधित कार्यालय से सैलरी स्टेटमेंट, बैंक पास बुक की सैलेरी डिटेल इत्यादि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3. वेतनमान एवं अन्य भत्ते :-

समय-समय पर दिये गये शासन निर्देशानुसार महगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते और अन्य लाभ नियमानुसार लागू होंगे। नियुक्त कर्मचारी पर नवीन पेंशन योजना शासन के आदेशानुसार प्रभावी होगी। म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 की कंडिका "ब" अनुसार परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी एवं परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

4. आरक्षण :-

- उक्त पदों हेतु न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होना चाहिए।
- पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) के लिये आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।
- उक्त पदों हेतु जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अभ्यर्थियों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हों।
- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-6-1/2002/अ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2018 द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) नियम 1988 के नियम-4 (ख) में संशोधन की अधिसूचना म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में 16 जनवरी 2018 के अंतर्गत 4-ख-"आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध" में यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहारिया आदिम जनजाति जिला मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाड़ा के तामिया विकासखण्ड की भारिया जनजाति का है और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा।
- निःशक्तजन के आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ-8-4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट) भोपाल दिनांक-01.06.2022 अनुसार होगा।
- उक्त पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ-9-3/2012/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 22 सितंबर 2012 के अनुसार रहेगा।
- उक्त पदों में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. सी 5-2/2018/1/3 भोपाल, दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार रहेगा।
- उक्त पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार रहेगा। आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

5. आयुसीमा :-

1. अनारक्षित वर्ग हेतु- न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/
शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के
कर्मचारियों/नगर सैनिक/निःशक्तजन/महिलाओं
(अनारक्षित/आरक्षित)/भूतपूर्व सैनिक आदि हेतु
न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष।

नोट:- आयु की गणना 01 जनवरी 2022 के आधार पर की जावेगी।

6. सामान्य शर्तें:-

- i. अगर अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए आवेदन करता है तो उसे पृथक-पृथक आवेदन न करते हुए एक ही आवेदन में आवेदित पदों को कमवार चिन्हित करना होगा जिसके लिए उसे म.प्र. ऑनलाईन द्वारा निर्धारित शुल्क अदा करना होगा।
- ii. एम.पी.ऑनलाईन से पदवार, श्रेणीवार, मेरिटवार पृथक-पृथक सूची प्राप्त होने पर चयन प्रक्रिया की जावेगी।
- iii. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- iv. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा द्वारा आवश्यकता अनुसार उक्त पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- v. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं एवं विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम अर्हता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदंडों को पूर्ण करते हैं उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- vi. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) तथा जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करनी होगी। **(जाति एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र डिजिटल होना अनिवार्य है)**
- vii. उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है एवं नियुक्ति के समय मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
- viii. अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण विज्ञप्ति या भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में महाविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
- ix. चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- x. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर तक ही सीमित होगा।
- xi. ऐसे आवेदक जिनको दिनांक 26.01.2001 तथा उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
- xii. वैवाहिक स्थिति - एक से अधिक विवाह किये गये उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे अगर प्रथम विवाह से विच्छेद न हुआ हो अथवा मृत्यु न हुई हो।
- xiii. दस्तावेज सत्यापन के समय पंजीयन से संबंधित पदों हेतु जीवित पंजीयन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
- xiv. संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की नियमित भर्ती हेतु अनुभव की गणना आवेदन की अंतिम तिथि तक मान्य की जावेगी।
- xv. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा भोपाल के पत्र क्रमांक 551/स्था./अराज/2021, भोपाल दिनांक 07.06.2021 द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में समस्त अभ्यर्थियों की एम.पी. ऑनलाईन द्वारा परीक्षा उपरांत प्रावीण्य सूची प्राप्त कर पदपूर्ति की जावेगी।
- xvi. आवेदन करने के पूर्व आवेदक विज्ञापन का गहन अध्ययन कर लें।
- xvii. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाई अनुसार बंधनकारी होगी।
- xviii. चयन सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जायेगा अर्थात् अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी जिन्होंने आवेदन किए पद हेतु निर्धारित आवश्यक न्यूनतम अर्हता में अधिक अंक प्राप्त किये हैं। ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियाँ एक से अधिक आवेदक के लिये समान हो तो कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।

7. अनर्हतायें :-

निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जाएगा :-

- जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये भर्ती में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो या प्रतिरूपण (इम्पर्सोनेशन) किया हो या कराया हो।
- कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया गया हो।
- भर्ती के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो।
- चयन के किसी भी स्तर पर भर्ती हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो।
- चयन प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारिरिक क्षति पहुँचाई हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो।
- आवेदकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो :-
 - उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
 - जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाए गए।
 - जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान से जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।
 - ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

8. आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा:-

- शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र तथा शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पिछड़ा वर्ग में गैर क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र।
- शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निःशक्तजन/भुतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र।

9. आवेदन संबंधी समय तालिका :-

क्रमांक	गतिविधि	तारीख
1	ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	01.09.2022
2	ऑनलाईन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	30.09.2022
3	आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु प्रारंभ तिथि	02.09.2022
4	आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अंतिम तिथि	02.10.2022

उक्त तिथियों में नंदकुमार सिंह चौहान, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकती है। साथ ही एम.पी.ऑनलाईन तथा नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा की वेबसाइट का समय-समय पर अवलोकन करते रहें। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरने व निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् उसके द्वारा की गई कोई त्रुटि सामने आती है तो ऐसे अभ्यर्थी त्रुटि सुधार की अंतिम दिनांक तक संबंधित त्रुटि को एम.पी.ऑनलाईन द्वारा प्रत्येक त्रुटि के लिये निर्धारित एक मुश्त शुल्क 60 रुपये (अक्षरी साठ रुपये मात्र जी.एस.टी. सहित) जमा कर सुधार कर सकेंगे, परन्तु इसके पश्चात् भी यदि अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाईन आवेदन में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

10. आवेदन शुल्क:-

क्र.	श्रेणी	शुल्क
1	अनारक्षित वर्ग हेतु	1400/- (एक हजार चार सौ रुपये)
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) हेतु	1200/- (एक हजार दो सौ रुपये)
3	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तजन हेतु	1000/- (एक हजार रुपये)

क्रं.	श्रेणी	शुल्क विवरण
1.	अनारक्षित वर्ग हेतु	उक्त कण्डिका-6.1 अनुसार अनारक्षित श्रेणी से आवेदन हेतु उक्त शुल्क में से (एम.पी. ऑनलाईन फीस 800/-जी.एस.टी. सहित एवं 600/- विभागीय शुल्क रहेगा। अभ्यर्थी एक से अधिक पद हेतु आवेदन करता है तो उसे प्रत्येक पद पर अतिरिक्त विभागीय 600/-शुल्क देय होगा।)
2.	ओ.बी.सी. (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा ईडब्ल्यूएस वर्ग हेतु	उक्त कण्डिका 6.1 अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु श्रेणी से आवेदन हेतु उक्त शुल्क में से (एम.पी. ऑनलाईन फीस 800/-जी.एस.टी. सहित एवं 400/- विभागीय शुल्क रहेगा। अभ्यर्थी एक से अधिक पद हेतु आवेदन करता है तो उसे प्रत्येक पद पर अतिरिक्त विभागीय 400/-शुल्क देय होगा।)
3.	अजा, अजजा एवं निःशक्तजन हेतु	उक्त कण्डिका 6.1 अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तजन हेतु श्रेणी से आवेदन हेतु उक्त शुल्क में से (एम.पी. ऑनलाईन फीस 800/-जी.एस.टी. सहित एवं 200/-विभागीय शुल्क रहेगा। अभ्यर्थी एक से अधिक पद हेतु आवेदन करता है तो उसे प्रत्येक पद पर अतिरिक्त विभागीय 200/-शुल्क देय होगा।)

11. आवेदन कैसे करें:-

- i. कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें। आप निर्देश पुस्तिका प्रवेश परीक्षा लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
- ii. आवेदन पत्र एम.पी. आनलाईन www.mponline.gov.in की बेवसाईट उपलब्ध है।
- iii. आवेदन के साथ दस्तावेजों की निम्न स्कैन की गई स्वच्छ पठनीय प्रतियां अपलोड किया जाना अनिवार्य है :-
 1. जन्मतिथि के समर्थन में हाई स्कूल परीक्षा मार्कशीट /सर्टिफिकेट /जन्मप्रमाण पत्र।
 2. 12 वीं कक्षा की अंकसूची।
 3. आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के समर्थन में संबंधित डिग्री /डिप्लोमा /फाईनल ईयर की मार्कशीट।
 4. निवासी प्रमाण पत्र।
 5. फोटो पहचान प्रमाण पत्र।
 6. सी.पी.सी.टी., शॉर्टहैंड, कम्प्यूटर प्रमाण पत्र।
 7. उम्मीदवार का नवीन फोटो एवं हस्ताक्षर।
 8. जाति प्रमाण पत्र।
 9. अनुभव प्रमाण पत्र।

प्रत्येक दस्तावेज फोटो एवं सिग्नेचर सहित 200 के.बी. आकार से अधिक ना हो।
- iv. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी:-

आवेदन पत्र एम.पी.आनलाईन www.mponline.gov.in पर दिये लिंक पर उपलब्ध है। परीक्षा आवेदन फार्म एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से भरा जा सकता है एम.पी.ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिये एम.पी.आनलाईन www.mponline.gov.in पर **Authoroized Kiosk list link** देखें। आवेदक इंटरनेट कैफे के माध्यम से या घर बैठे स्वयं अपना ऑनलाईन फार्म भर सकते हैं।
- v. इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि:-
 1. आवेदन एम. पी. आनलाईन www.mponline.gov.in बेवसाईट के माध्यम से होम पेज में नागरिक सेवायें ऑप्शन पर क्लिक करें फिर ड्रापडाउन से आवेदन ऑप्शन से क्लिक करने के पश्चात शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा के लोगों पर क्लिक कर एप्लीकेशन एण्ड सर्विसेस ऑप्शन में उपरोक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिये दी गई लिंक पर क्लिक करें।
 2. आवेदक ऑनलाईन फार्म भरने से पहले विज्ञप्ति को एम.पी. आनलाईन www.mponline.gov.in बेवसाईट के माध्यम से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा की बेवसाईट www.gmckhandwa.org पर दिये गये लिंक से दी गई जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके उपरांत ही ऑनलाईन फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियां सही सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन **Browse** ब्राउस दिखाई देगा। जिसमें आवेदक अपना नवीन रंगीन फोटो हस्ताक्षर सहित अटैच करना है, इस बटन के नीचे आवेदक के फोटो हस्ताक्षर के साथ (प्रारूप हेतु इस लिंक पर क्लिक करें) दिखाई देगी। **Hyperlink** को क्लिक करने पर हस्ताक्षर सहित फोटो के फार्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फार्मेट को स्कैन करें **Jpg. 200 kb size or minium**) फारमेट में ही सेव करें। अब आवेदक **Browse** बटन पर क्लिक करें इसके उपरांत जिस

डायरेक्ट्री में आवेदक ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।

3. आवेदक ऑनलाइन फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह से पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि फार्म में जो भी जानकारी भरी है वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई हो तो पुनः उसे ठीक करें, इसके उपरांत **Submit** बटन दबायें। इससे आवेदक को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिये **Proceed to payment** बटन दबायेगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो ऑप्शन दिखाई देंगे।

अ. क्रेडिट/डेबिट कार्ड

- अ. क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान— आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। ऑनलाइन फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिये **Proceed to payment** बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर संबंधित का पैमेंट गेटवे दिखाई देगा इसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कन्फर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूर्ण होने के उपरांत कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्राप्त होगी, जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी भी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।

ब. इंटरनेट बैंकिंग

- ब. इंटरनेट माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :- आवेदक चाहे तो घर बैठें इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग सुविधा से कर सकता है। इसके लिये आवेदक के पास नेट बैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने के उपरांत **Proceed to payment** बटन दबायेगा यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शन दिखाई देगा इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई डी पासवर्ड डालकर लागिन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक अकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलता पूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नम्बर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट आवश्यक लें।

vi. एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

आवेदक ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के लिये अपने नजदीकी एम.पी.ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क संचालक www.mponline.gov.in वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग-इन टाईप में कियोस्क सिलेक्ट कर लॉग-इन करेगा। इसके उपरान्त सिटिजन सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में सर्वप्रथम फार्म भरने सम्बन्धी निर्देश और जानकारियाँ आवेदक को उपलब्ध करायेगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ लें ताकि मॉगी गई समस्त जानकारियाँ फार्म में सही से भरी जा सकें। इसके उपरान्त आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारियाँ फार्म में सही से भरी जा सकें। इसके उपरान्त आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज को फोटो अवश्य ले जावें। कियोस्क आवेदक का फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरान्त आवेदक ऑनलाइन फार्म में भरी गई समस्त जानकारियाँ सही-सही भरी होने के उपरान्त ही कियोस्क संचालक को **Proceed to Payment** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने को कहें। आवेदक कियोस्क संचालक को परीक्षा शुल्क नगद भुगतान करेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त ही कियोस्क संचालक को परीक्षा शुल्क नगद भुगतान करेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कम्प्यूटराईज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा अपने पास संभालकर रखें।

- vii. जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरी उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में देने पर संबंधित आवेदक की पात्रता निरस्त की जा सकेगी।

- viii. यदि आवेदक के पास क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गये फार्म का कियोस्क के माध्यम से **Pay for unpaid Application** लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है। परीक्षा शुल्क का भुगतान प्रत्येक आवेदक को करना अनिवार्य है। इसके लिये आवेदक को उपरोक्त बताये गये बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरान्त अपने नजदीक में स्थापित एम.पी.ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गये फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्म तिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरान्त कियोस्क संचालक **Pay for unpaid Application** में उक्त जानकारियाँ भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरान्त **Proceed to Payment** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क

भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक को कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से संबंधित समस्त जानकारी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें। ऑनलाईन पेमेंट करने पर, यदि पेमेंट रिजेक्ट हो जाता है/पेमेंट रसीद जनरेट नहीं हो रही है तो तत्काल पुनः पेमेंट कर रसीद जनरेट कर सुरक्षित रखें। पेमेंट के अभाव में आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा। ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे जिन्हें ऑनलाईन भरने के बाद प्रिन्ट लेकर एम.पी. ऑनलाईन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जायेगा। परीक्षा शुल्क के लिये किसी भी प्रकार का बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जावेगी।

नोट:—यदि आपको ऑनलाइन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गये दूरभाष नम्बर पर तत्काल संपर्क करें एवं समस्या का समाधान न होने पर एम.पी. ऑनलाइन के होमपेज पर संपर्क करें में क्लिक करें तथा शिकायत विकल्प में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड तीसरा फ्लोर स्टेट आई.टी. पार्क, अब्बास नगर नियर आरजीपीवी, गाँधी नगर, भोपाल-462033, फोन:-0755-6720200 / 0755-6720222 पर संपर्क करें।

13. महत्वपूर्ण टीप :-

यह उम्मीदवारों के हित में है कि वह एम.पी.ऑनलाईन/नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा की वेबसाइट www.gmckhandwa.org का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान दें। इस संबंध में एम.पी.ऑनलाईन/नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा की कोई जवाबदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय-समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो उसकी दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी। साथ ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सही भरा जाना चाहिए एवं किसी भी प्रकार की जानकारी को छिपाया नहीं जाना चाहिए। यदि भविष्य में पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार का चयन उसके द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के आधार पर हुआ है तो ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी एवं तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। नवीन सूचनाओं हेतु नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा की वेबसाइट www.gmckhandwa.org का अवलोकन निरंतर करते रहें।

(डॉ. अनंत टी. पंवार)

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
नंदकुमार सिंह चौहान शा.चि.म. खण्डवा (म.प्र.)



नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

गैर शैक्षणिक संवर्ग पद पर मध्य प्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय (बैगा/सहारिया/भारिया जनजाति) के अभ्यर्थियों हेतु ऑफलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप-2022

1. विज्ञापन क्रमांकदिनांक.....
2. आवेदित पद का नाम
3. आवेदक का पूरा नाम (उपनाम सहित)
4. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित) :-
5. जन्म तिथि...../...../.....
(प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
6. आयु:- वर्ष.....माह.....दिन.....(दिनांक 01.01.2022 स्थिति में)
7. वर्तमान निवास का पूर्ण पता तथा पिन कोड एवं मो. नं. :-.....
.....
8. स्थाई निवासी का पूर्ण पता तथा पिन कोड :-.....
.....
9. विशेष पिछडी जनजाति का नाम एवं स्थान:.....
10. क्या अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक हैं (हां/नहीं).....
11. विवाहित होने की स्थिति में विवाह की तिथि.....
12. विवाहित होने पर जीवित संतान संख्या.....अंतिम बच्चे की जन्मतिथि
13. रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन क्रमांक.....
14. शैक्षणिक योग्यता :- (विज्ञापन अनुसार पद हेतु उल्लेखित समस्त अर्हता परीक्षाओं की जानकारी)

क्र.	परीक्षा का नाम	महाविद्यालय का नाम	वर्ष	विषय	श्रेणी	प्राप्तांक/पूर्णांक
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

15. अन्य विशेष योग्यता :-.....

16. निम्नांकित दस्तावेज संलग्न करें :-

क्र.	दस्तावेजों का विवरण	(हां/नहीं/लागू नहीं)
1	10वीं बोर्ड परीक्षा अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
2	12वीं बोर्ड परीक्षा अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
3	अर्हता परीक्षाओं से संबंधित समस्त अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
4	कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।(यदि लागू हो तो)	
5	आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
6	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. के मूल/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
7	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति-प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
8	यदि कोई सेवा में हो तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति। (यदि लागू)	
9	निर्धारित आयु के पूर्व विवाह न होने तथा 26/01/2001 के पश्चात् तीसरी संतान न होने का स्वघोषित शपथ-पत्र (यदि लागू हो तो)	
10	विधवा/परित्याकता/तलाक शुदा की स्थिति में नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तद्विषयक शपथ-पत्र। (यदि लागू हो तो)	

स्थान

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक.....

घोषणा-पत्र

प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वह पूर्णतः सत्य है, जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यावाही की जा सकेगी।

स्थान

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक